

LCMS- 2024/156

FORM NO-III

फर्द अहकाम  
(नियम 28)

अज अदालत: उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रुपनगढ, जिला-अजमेर


राजस्थान सरकार


बनाम ग्राम भडवा...क.न. 952/793

किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र धारा-131, 132, एलआरए

नम्बर-93 वर्ष-2024

व नियम: 58, 59, 60, 66, 86 आरएलआर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30-7-24	<p>तहसीलदार, रुपनगढ द्वारा ग्राम...भडवा....., तहसील रुपनगढ के खसरा नम्बर 952/793 (कत 2.4270 हे.मे.से 0.0885 हे.) (नजरी नम्बर अउर नम्बर) में से जा रहे रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत...भडवा..... मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का भडवा..... परिशिष्ट-ए एवं अभिशंषा तहसीलदार रुपनगढ प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार रुपनगढ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार रुपनगढ आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
रुपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी  
रुपनगढ-अजमेर

